उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 1/2015/28/छप्पन-15-41/2011
लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन परिचालन इकाई उ0प्र0 लखनऊ में शासनादेश संख्या- 2114/छप्पन-12-41/2011, दिनांक 31-12-2012 द्वारा पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कै0 पंकज सिंह को रूपये 1,80,000/- (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। जिसके आलोक में उनके द्वारा दिनांक 7-01-2013 को कार्यभार ग्रहण किया था। इनकी संविदा अवधि दिनांक 06-01-2015 को समाप्त हो चुकी है।

2- कै0 पंकज सिंह द्वारा ई-मेल दिनांक 07-01-2015 के माध्यम से किये गये अनुरोध/आवेदन के सन्दर्भ में निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि कै0 पंकज की संविदा अवधि आगामी 05 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाय एवं पारिश्रमिक बढ़ाकर रूपये 4-00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) कर दिया जाय।

3- प्रश्नगत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल कै0 पंकज सिंह की उक्त संविदा अवधि दिनांक 06-01-2015 से आगामी 05 वर्ष के लिए रूपये 4-00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) के मासिक पारिश्रमिक पर बढ़ाये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

4- कै0 पंकज सिंह को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

5- कै0 पंकज सिंह से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपृ पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

कै0 पंकज सिंह]
एच-40/3, शंकर विहार हास्टल,
नियर ए0पी0एस0 दिल्ली कैन्ट,
नई दिल्ली-110 010

पृ0सं0 : 1/2015/28(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कै0 पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- कार्मिक अनुभाग-1
8- नियोजन अनुभाग-4
9- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से]

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।